BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 70/2022

IN THE MATTER OF:

Petitioner Abhay Kumar Akolkar

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh, in compliance of Order dated 06.11.2023		02-05
2.	Affidavit		06-07
3.	Report along with Demarcation Maps	R-1	08-16

Date: 06.04.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 70/2022

IN THE MATTER OF:

Petitioner Abhay Kumar Akolkar

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 06.11.2023

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINBELOW :

1. That the present application pertains to the alleged encroachment on water body, on the basis of forged and fictitious map, which was intentionally used for grabbing the State land or the pond area for purposes other than the purpose prescribed by law through deceitful means causing loss to the State land and acting on such a document though it is not a document for purporting to be made in official capacity by the authorised authority.

2. That further this Hon'ble Tribunal vide order dated 06.11.2023 directed the state administration to file a final action taken report with regard to demarcation of Telia Talab. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the relevant extract from the aforementioned order is reproduced hereinbelow :

15. In light of above directions, the lands and the matter covered under clause A of C.A. No. 5328-29/2016 has been finally determined and not to be disturbed or affected in any manner. With regard to the directions given in Para-25 (b & C) a Committee has been constituted which has submitted the report and Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh, Indore has also issued the directions in Writ Petition no. 25162 of 2013 vide order dated 03.10.2023 and directed that in fitness of the things it is directed that the competent authority of the respondents may publish the Mandsaur Development Plan, 2035 as expeditiously as possible preferable within the period of 45 days from the date of receipt the certified copy of the order and such publication shall remain subject to the order passed by this Tribunal. The committee has suggested five alternates in which the report makes it clear that two alternatives are existing and the proposed Master Plan of 2035 whereas the other two alternatives are based upon correspondence dated 05.05.20211 which is found to be doubtful by the committee itself and thus the only rational and applicable map to determine the precise boundary of Taliya talab is of Mandsaur Development Plan, 2035 which is prepared as per provisions of MP Nagar tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1972 wherein first draft plan was prepared then objections are heard by a committee, thereafter, Director, Town and Country Planning receives it and finally State Government approves it. Accordingly, the method as suggested by the Committee as in point no. 3 and 4 which is prepared on the basis of expertise of National Remote Sensing Agency, Hyderabad with the proposed Master Plan of Mandsaur Development Plan, 2035 is accepted and the committee is directed to further proceed in accordance with proposal as contained in Para-3 and 4 of the conclusions based on the satellite imaginary of National Remote Sensing Agency, Hyderabad and submit the report within two months. While finalizing the

draft anyone aggrieved or moves any application or representation, the committee is at liberty to provide an opportunity of hearing to the person concerned and to finalize it according to the revenue rules and in accordance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India and order of Hon'ble High Court quoted above.

16. List it on 08th January, 2024. Final Action Taken Report be filed before the next date of hearing."

3. Thereafter in compliance of the aforementioned directions a Joint Committee was constituted comprising of, 1) Upper Collector, Mandsour; 2) Joint Director, Town and Country Planning; 3) Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Mandsaur; and 4) Executive Engineer Water Resource Department.

4. That the demarcation of the waterlogged region was established based on satellite imagery obtained from the National Remote Sensing Agency in Hyderabad. This demarcation was subsequently overlaid onto the corresponding Khasra number in the revenue records. Furthermore, after the release of the Mandsaur Development Plan 2035 (Draft), for the purpose of addressing objections and recommendations, the border area delineated through a drone survey conducted on 28.08.2021 has been associated with the respective Khasra numbers in the revenue records. A copy of Action Taken Report along with demarcation maps are marked and annexed herewith as **Annexure R-1.**

5. Thereafter, the aforementioned committee reviewed the abovementioned maps, noting that the drone survey conducted on 28.08.2021, following the release of the Mandsaur Development Plan 2035 (draft), demarcates a larger area and given its timing in August, this survey provides a more accurate depiction of the waterlogged portions of the lake and its boundary area.

6. An affidavit in support is filed herewith.

Date: 06.04.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

मेरे कार्यालय मुद्रा एवं हस्ताक्षर से
दि. 06 माह 01 सन 2024 को
शहर धार पर तस्दिक/अनुक्रमांक 08 है।

प्रकाश रत्नागर
एम.ए., एल-एल.बी
एडव्होकेट एवं नोटरी
19, कबीर मार्ग, धार (म.प्र
मोबा: 9893721900

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 70/2022

प्रकाश रत्नागर एडव्होकेट
एडव्होकेट एवं नोटरी
MP-16/07/धार/05/
21-ब (2) 2023
जिला धार (म.प्र.) भारत

IN THE MATTER OF:

ABHAY KUMAR AKOLKAR **APPLICANT(S)**

VERSUS

STATE OF MP & ORS **RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT

I, Vijendra Dodve S/o Shri Bheru Singh Dodve, am the OIC in the instant matter, do hereby state on oath and solemnly affirm as under :

1. That, I have been appointed as the Officer In-Charge to represent this case on behalf of Respondent No. 1 and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Action Taken Report has been prepared and filed as per my instructions and has also been explained to me.
3. That, the contents of para 1 to ___ of the accompanying Action Taken Report are true to my knowledge based upon official records and legal averments made therein are true on the legal advice and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above-described deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this _____ day of ________ 2023 at _________(M.P.)

DEPONENT

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

Scanned with CamScanner

प्रकाश रत्नागर
नोटरी अधिनियम 1952 के
अधिन नियुक्त तथा अधिकृत
नोटरी प्रमाणित कारता हूँ कि
....
पिता/पति.............आयु.........वर्ष
जाति. .... जीविका..............
निवासी.............. तहसील..............
जिला.............. ....ने आज
दि.....06... माह...01...सन...2024
को उपस्थित [illegible] निष्पादित
करना स्वीकार किया [illegible] बात होना
तथा कोई [illegible] का [illegible] होना स्वीकार
किया, इस [illegible] का [illegible] जानता हूँ अथवा जिन्हें
श्री.................................
मे पहचाना, जिन्हें मैं स्वयं जानता हूँ। इसके
[illegible]

प्रकाश रत्नागर
एम.ए., एल-एल.बी
एडव्होकेट एवं नोटरी
19, कबीर मार्ग, धार (म.प्र
मोबा:9893721900

Scanned with CamScanner

Annexure R-1

कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक /725/ एनजीटी / 2023 मंदसौर दिनांक 24/12/2023

संयुक्त समिति बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय न्यायालय NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL द्वारा एप्लीकेशन नंबर 70 / 2022 (CZ) के सुनवाई दिनांक 06.11.2023 में पारित आदेश के अनुक्रम में दिनांक 24.12.2023 को बैठक ओयाजित की गई जिसमें समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए –

(i) राजस्व विभाग, कलेक्टर द्वारा मनोनीत– श्री विशालसिंह चौहान अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर

(ii) आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. द्वारा मनोनीत – श्री विष्णु खरे, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

(iii) अध्यक्ष, नगर पालिका मन्दसौर द्वारा मनोनीत – श्री सुधीर कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर

(iv) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा मनोनीत– श्री विजेन्द्र सिंह डोडवे, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर

समिति संदस्यों द्वारा माननीय एनजीटी द्वारा परित आदेश का अवलोकन किया आदेश अनुसार तेलिया तालाब के सीमा निधारण हेतु माननीय एनजीटी द्वारा इस समिति की पूर्व प्रेषित रिपोर्ट के निष्कर्ष बिन्दु कमांक 03 व 04 के आधार पर कमेटी को सीमा निर्धारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है साथ ही इस प्रकिया में अगर कोई व्यक्ति उपस्थित होता है तो उसे सुनवाई का मौका दिया जावे यह भी निर्देशित किया है।

समिति द्वारा पूर्व पेषित प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक 03 व 04 निम्नानुसार हैं –

3–मन्दसौर विकास योजना 2035(प्रारूप) का प्रस्तावित मानचित्र सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर तैयार किया गया है। सेटेलाइट इमेजरी पर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी हैदराबाद द्वारा अपने तकनीकी ज्ञान से जल भराव क्षेत्र अंकित किया है। यह जलभराव क्षेत्र प्रारूप विकास योजना तैयार किए जाने के समय का है, जो वर्तमान से निकट है।

4– मन्दसौर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रकाशन उपरांत आपत्ती सुझावों के निराकरण के क्रम में दिनांक 28.08.2021 को ड्रोन सर्वे कराया गया। यह सर्वे उस दिनांक को जलभराव क्षेत्र को निरूपति करता है। यह जलभराव क्षेत्र उस दिनांक के FTL लेवल के आसपास हो सकता है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त बिन्दुओं सम्बधी कार्यवाही नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा मंदसौर विकास योजना 2035 को तैयार करने के दौरान की गई है, जिससे संबंधित दस्तावेज पूर्व में समिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये थे। माननीय एनजीटी द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ही तेलिया तालाब के सीमा निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त दोनों बिन्दु

1. *नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी हैदराबाद द्वारा सैटेलाईट इमेजनरी द्वारा तैयार जलभराव क्षेत्र*
2. *मन्दसौर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रकाशन उपरांत आपत्ती सुझावों के निराकरण के क्रम में दिनांक 28.08.2021 को करवाया गया ड्रोन सर्वे*

पर आधारित नक्शा निर्माण की कार्यवाही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा तकनीकी एजेंसियों की मदद से करवाई किये जाने हेतु उपसंचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय नीमच/मंदसौर को निर्देशित किया जाने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया तदानुसार आगामी कार्यवाही की जावे।

(विजेन्द्र सिंह डोडवे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग
मन्दसौर

(सुधीर कुमार सिंह)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
मन्दसौर

(विष्णु खरे)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
उज्जैन

(विशालसिंह चौहान)
अपर कलेक्टर
जिला मन्दसौर

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर (म.प्र.)

कमांक/720/एनजीटी/2023 मंदसौर दिनांक 24/12/2023

संयुक्त प्रतिवेदन

माननीय न्यायालय **NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL** द्वारा एप्लीकेशन नंबर 70/2022 (CZ) के सुनवाई दिनांक 06.11.2023 में पारित आदेश के अनुक्रम में तेलिया तालाब के सीमा निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन संयुक्त समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत है–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5328 –5329 में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च 2023 के बिन्दु क्रमांक 25 (b) एवं (c) के परिपेक्ष्य में मन्दसौर स्थित तैलिया तालाब के संबंध में माननीय एनजीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा आदेश दिनांक 06.11.2023 का अध्ययन किया गया, आदेश के ऑपरेटिव पैरा अग्रप्रकार से है–

"*In light of above directions, the lands and the matter covered under clause A of C.A. No. 5328-29/2016 has been finally determined and not to be disturbed or affected in any manner. With regard to the directions given in Para-25 (b & C) a Committee has been constituted which has submitted the report and Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh, Indore has also issued the directions in Writ Petition no. 25162 of 2013 vide order dated 03.10.2023 and directed that in fitness of the things it is directed that the competent authority of the respondents may publish the Mandsaur Development Plan, 2035 as expeditiously as possible preferable within the period of 45 days from the date of receipt the certified copy of the order and such publication shall remain subject to the order passed by this Tribunal. The committee has suggested five alternates in which the report makes it clear that two alternatives are existing and the proposed Master Plan of 2035 whereas the other two alternatives are based upon correspondence dated 05.05.20211 which is found to be doubtful by the committee itself and thus the only rational and applicable map to determine the precise boundary of Taliya talab is of Mandsaur Development Plan, 2035*

(विजेन्द्र सिंह डोडवे) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर	(सुधीर कुमार सिंह) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर	(विष्णु खरे) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	(विशालसिंह चौहान) अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर

Scanned with CamScanner

which is prepared as per provisions of MP Nagar tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1972 wherein first draft plan was prepared then objections are heard by a committee, thereafter, Director, Town and Country Planning receives it and finally State Government approves it. Accordingly, the method as suggested by the Committee as in point no. 3 and 4 which is prepared on the basis of expertise of National Remote Sensing Agency, Hyderabad with the proposed Master Plan of Mandsaur Development Plan, 2035 is accepted and the committee is directed to further proceed in accordance with proposal as contained in Para-3 and 4 of the conclusions based on the satellite imaginary of National Remote Sensing Agency, Hyderabad and submit the report within two months. While finalizing the draft anyone aggrieved or moves any application or representation, the committee is at liberty to provide an opportunity of hearing to the person concerned and to finalize it according to the revenue rules and in accordance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India and order of Hon'ble High Court quoted above. "

उपरोक्त आदेश में इस समिति द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन के निष्कर्ष बिन्दु कमांक 03 व 04 में उल्लेखित प्रकिया के आधार पर समिति को आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति के पूर्व प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्कर्ष बिन्दु कमाक 03 व 04 अग्रप्रकार से हैं–

3–मन्दसौर विकास योजना 2035(प्रारूप) का प्रस्तावित मानचित्र सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर तैयार किया गया है। सेटेलाइट इमेजरी पर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी हैदराबाद द्वारा अपने तकनीकी ज्ञान से जल भराव क्षेत्र अंकित किया है। यह जलभराव क्षेत्र प्रारूप विकास योजना तैयार किए जाने के समय का है, जो वर्तमान से निकट है।

*4– मन्दसौर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रकाशन उपरांत आपत्ती सुझावों के निराकरण के क्रम में दिनांक 28.08.2021 को ड्रोन सर्वे कराया गया। यह सर्वे उस दिनांक को जलभराव क्षेत्र को निरूपति करता है। यह जलभराव क्षेत्र उस दिनांक के **FTL** लेवल के आसपास हो सकता है।*

(विजेन्द्र सिंह डोडवे) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर	(सुधीर कुमार सिंह) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर	(विष्णु खरे) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	(विशालसिंह चौहान) अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर

Scanned with CamScanner

उपरोक्त बिन्दु कमांक 03 व 04 की प्रकिया से तैयार नक्शों को राजस्व खसरे पर अधिरोपित कर तैयार करने संबंधी कार्यवाही की गई। जिसके अंतर्गत नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के पास सेटेलाईट इमेजरी व ड्रोन सर्वे संबंधी डेटा उपलब्ध होने से उक्त डेटा को राजस्व विभाग के नक्शे पर अधिरोपित करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि विकास योजना 2035 (प्रारूप) तैयार करने हेतु यही प्रक्रिया नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी संस्थान एम.पी.सी.एस.टी. भोपाल (मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साईस टेक्नोलॉजी) के साथ मिलकर की जाती है। अतः प्रभारी उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को पत्र कमांक 724/एनजीटी/मंदसौर दिनांक 24.12.2023 द्वारा उपरोक्त तकनीकी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकिया के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा समिति के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रभारी उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सर्वे डिवीजन रिमोर्ट सेन्सींग एप्लीकेशन सेन्टर एम.पी.सी.एस.टी. भोपाल (मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साईस टेक्नोलॉजी) को समिति द्वारा वांछित सैटेलाईट इमेज व ड्रोन सर्वे आधारित डेटा के आधार पर मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक 1487/एनजीटी/नग्रानि/2023 नीमच, दिनांक 25.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

उपसचांलक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय, नीमच द्वारा पत्र कमांक 1492/एनजीटी//नग्रानि/2023/ नीमच 27.12.2023 एम.पी.सी.एस.टी. भोपाल द्वारा तैयार तेलिया तालाब संबंधी निम्न तीन नक्शे तैयार प्रस्तुत किये गए :—

1. **नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी हैदराबाद की सैटेलाईट पर तैयार जलभराव क्षेत्र का सीमा क्षेत्र जिसे राजस्व रिकॉर्ड के खसरे नंबर पर अधिरोपित किया गया । (अनुलग्न—01)**

(विजेन्द्र सिंह डोडवे) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर	(सुधीर कुमार सिंह) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर	(विष्णु खरे) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	(विशालसिंह चौहान) अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर

Scanned with CamScanner

2. मन्दसौर विकास योजना 2035 , प्रकाशन उपरांत आपत्ती सुझावों के निराकरण के क्रम में दिनांक 28.08.2021 को करवाया गया ड्रोन सर्वे पर आधारित सीमा क्षेत्र जिसे राजस्व रिकॉर्ड के खसरे नंबर पर अधिरोपित किया गया ।(अनुलग्न–02)
3. उपरोक्त बिन्दू कमांक 01 व 02 के आधार पर निर्मित संयुक्त सीमा क्षेत्र का नक्शा जिसमें सैटेलाईट इमेज व ड्रोन सर्वे को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया है। (अनुलग्न–03)

उपरोक्त नक्शों का अवलोकन समिति सदस्यों द्वारा किया गया जिसमें मन्दसौर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रकाशन उपरांत आपत्ती सुझावों के निराकरण के क्रम में दिनांक 28.08.2021 को करवाया गया ड्रोन सर्वे द्वारा निर्मित मानचित्र (अनुलग्न–02) का क्षेत्रफल अधिक है, एवं उक्त सर्वे अगस्त माह में किया जाने के कारण तालाब के जलभराव व तेलिया तालाब के सीमा क्षेत्र को बेहतर रूप से प्रदर्शित करता है।

माननीय न्यायालय एनजीटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 के निर्देश के अनुकम में तेलिया तालाब के सीमा निर्धारण हेतु नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी हैदराबाद व ड्रोन सर्वे से प्राप्त डेटा अनुसार सीमा क्षेत्र संबंधी नक्शे तैयार किये जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने हेतु सादर प्रेषित हैं।

(विजेन्द्र सिंह डोडवे) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर	(सुधीर कुमार सिंह) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मन्दसौर	(विष्णु खरे) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन	(विशालसिंह चौहान) अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर

Scanned with CamScanner

MANDSAUR DRAFT PLAN - 2035

Teliya Talab According NRSC SATELLITE DATA

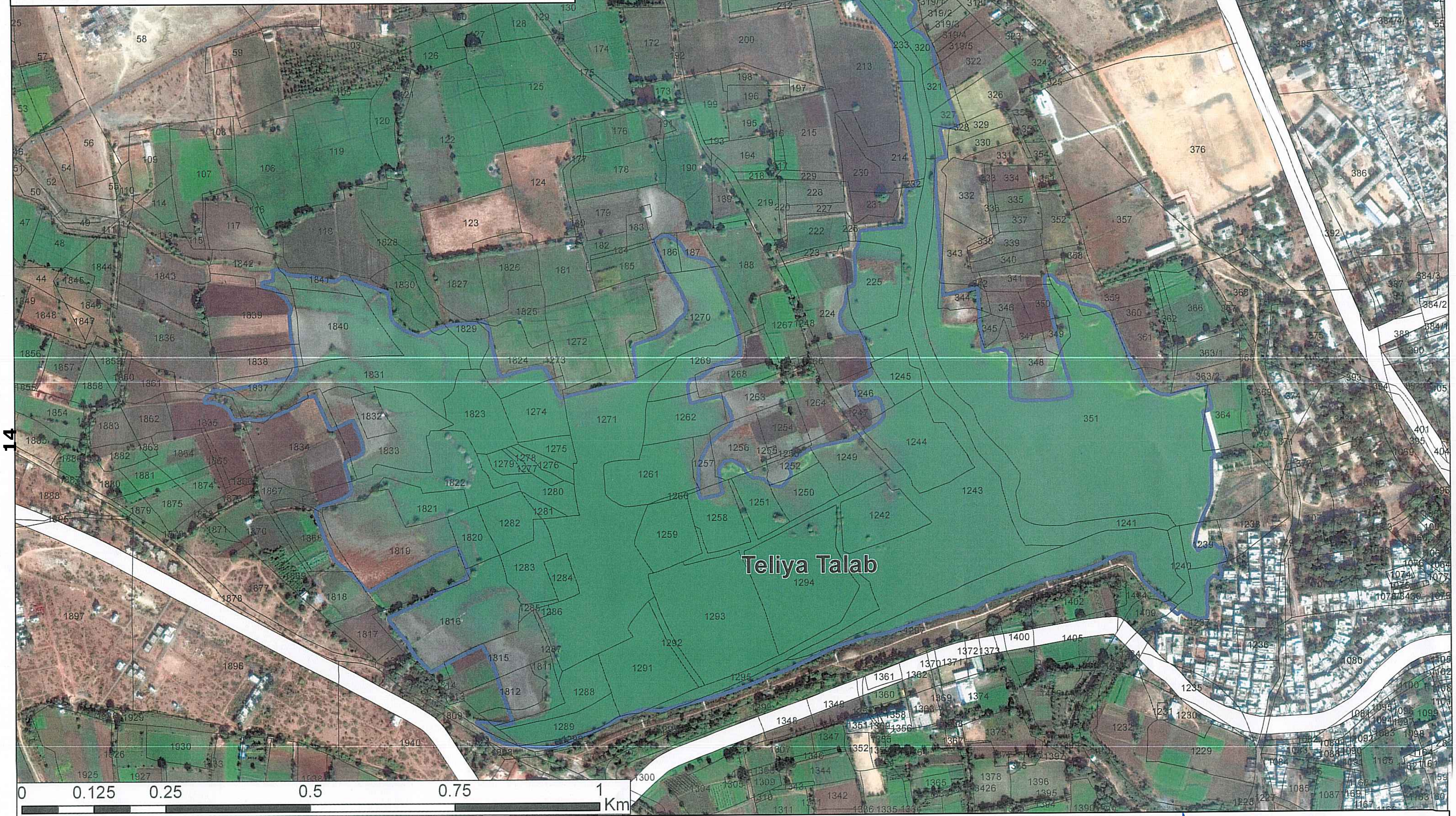

MAP: 1

27/11/23
डॉ विवेक कटारे
प्रधान (भूमिउपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण)
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
भोपाल

MAP: 2

27/12/23
डॉ विवेक कटारे
प्रधान (भूमिउपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण)
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
भोपाल

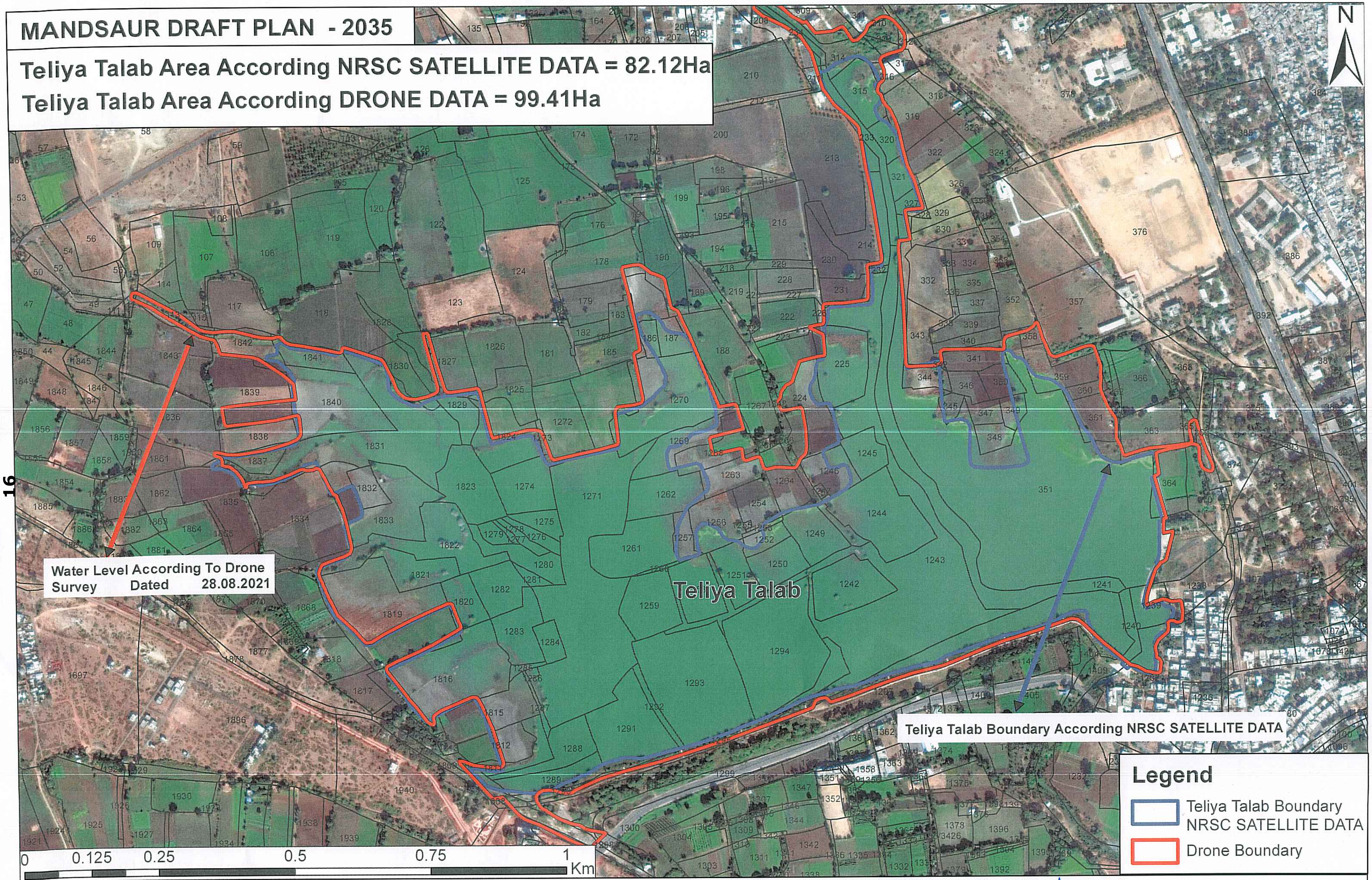

MAP: 3

27/12/23
डॉ. विवेक कटारे
प्रधान (भूमिउपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण)
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
भोपाल